वित्तीय स्वीकृति

संख्या-31/2015/949/52-3-2015-बजट(10)/15

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 6 □□, 2015

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजन□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) □□□□-1 □□ कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/□□-1-925/10-2015-231/2015 दिनांक 30.3.2015 के प्रस्तर-2(10) में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गतर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश स0-2855/52-3-14- □□(8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2014 में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक में प्राविधानित धनाशि रू0 40,28,76,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 0 20,14,38,000/- (रू0 बीस करोड़ चैदह लाख अठतीस हजार मा) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहमति, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की ''मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत □□□□ द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

http://shiksha.updesh.up.nic.in

(4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 31.05. 2015 □□ उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(6) □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2. उक्त पर होने वाला व्य अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) में व्यवस्थित धनराशि से वहन किया □□□□□

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/□□- 2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

<u>संख्या-949(1)/52-3-15-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, केस□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, उ□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण नि□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in